Vice Presidential Election/Immediate
By Special Messenger/Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं. 481/ईसीआई/अनु./प्रकार्या./उ.रा.नि./द्वि/2017 दिनांक: 25 जुलाई, 2017

सेवा में,

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी
और महासचिव, राज्य सभा
संसद भवन,
नई दिल्ली

विषय: उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन-2017-मतदान दिवस पर मतदान स्थान के निकट निवारक उपाय-सेल्यूलर फोन के प्रयोग के संबंध में अनुदेश।

महोदय,

चल रहे उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के दौरान, आयोग ने 5 अगस्त 2017 को मतदान के उचित संचालन के हित में, निम्नलिखित अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया है:-

1. मतदान दिवस पर, किसी भी स्थिति में, कोई भी सेलयूलर फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि मतदान केन्द्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे शीघ्र अभ्यर्थियों, उनके प्रतिनिधियों और निर्वाचन मंडल के सदस्यों की जानकारी में लाया जाए।
2. किसी भी निर्वाचक द्वारा यिद कोई सेल्यूलर फोन, कार्डलेस फोन आदि साथ में लाया जाता है तो उसे मतदान के स्थान में प्रवेश करने से पहले जमा करने के लिए मतदान परिसरों के नजदीक व्यवस्था की जा सकती है जिसे मत डालने के पश्चात लिया जा सकता है। इसके लिए मतदान के स्थान के बाहर एक साइनबोर्ड रखा जा सकता है।
3. मतदान के स्थान के भीतर प्रेक्षकों सहित किसी भी अधिकारी को सेल फोन का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी एक समर्पित टेलीफोन लाइन 'के साथ कंट्रोल रूम' की व्यवस्था करेगा ताकि जब कभी आयोग के अधिकारियों को आर.ओ/ए.आर.ओं और प्रेक्षकों से

संपर्क करने की आवश्यकता पड़े तो वे कंट्रोल रूम के नम्बर के माध्यम से सूचना भेज सकें। जब कभी प्रेक्षकों को आयोग से संपर्क करने की आवश्यकता पड़े तो उन्हें मतदान स्थान से बाहर आना चाहिए और आयोग से संपर्क करना चाहिए। ऐसे कंट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर आयोग को शीघ्र सूचित किए जाने चाहिए।

4. उपर्युक्त प्रतिबंध गणना दिवस पर गणना केन्द्र के लिए भी लागू किया जाएगा।

भवदीय

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव